ृमुख्य सचित्र, हरिशाणा द्वारा विभागाध्यक्षीं स्नादि को सम्बोधित परिण्य कर्माक 5936-6 जी0 एस0-1-76/5706 दिनांक 11-3-76 की. प्रति ।

विषय :--सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल, ग्रचल ग्रीर मृल्यवान सम्पत्ति की विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावर्ल, 1966 के नियम 18 की धोर दिलाऊ जिसमें कि यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी विसी सेवा या पद पर अपनी प्रवम निय्वत के समय बार उसके बाद सरकार द्वारा निविष्ट अन्तरालों पर अपनी देनदारियों और लेनदारियों की एक विवरणी सरकार द्वारा नियत फार्म में देगा । सरकारी कर्मचारियों द्वारा इन विववरणियों को देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह देखा जा सके कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आमदनी से अधिक मूल्य की चल अचल और मूल्यवान सम्पत्ति नहीं प्राप्त करता । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त वर्णित विवरणियों की अच्छी प्रकार से जांच की जाए और यदि सक्षम प्राधिकारी के नोटिस में यह बात आती है कि विवरणी में दिखायी गई सम्पत्ति कर्मचारी का आमदनी के मुकावले अधिक है तो सम्बन्धित कर्मचारी से उसका पूरा वर्णरा प्राप्त किया जाए और सक्षम प्राधिकारी अपने आपको सन्तुप्ट कर ले कि सरकारी कर्मचारी द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है ।

- 2. इस लिये आपसे अनुरोध किया जाता है कि जब आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अपनी चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति का व्यौरा निर्धारित विवरणी में आपको दे तो उसे बगैर जांच किये उसकी व्यक्तिगत फाईल पर न लगा दिया जाए बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आपको सन्तुष्ट करने के बाद ही ऐसा किया जाए और यदि सम्पति को प्राप्त करने के बारे में कर्मचारी की ईमानदारी पर किसी प्रकार का भी सन्देह हो तो इस बारे में पूरी जांच करके ही इस विवरणी को उसकी व्यक्तिगत फाईल पर लगाया जाए ।
- कृपया इन हिदायतों को भ्रपने भ्रधीन काम कर रहे कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाए भीर इन हिदायतों का दृढ्ता से पालन किया जाए ।

भवदीय

इस्ता/-

उप-सचिव, सामान्य प्रशासन कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्श तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :---

(1) बित्तायुक्त_/हरियाणा सरकार के संभी प्रशासकीय सचिव ।